अध्याय ।

राजस्व विभाग – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण की वापसी से प्राप्त समस्त राशियाँ शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व स्रोत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की राजस्व प्राप्तियाँ शामिल हैं। तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व.) 15 और वि.व.14 के लिये संघ सरकार के संसाधनों की प्राप्तियों का सार दर्शाती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

	वि.व 15	**वि.व 14**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	16,66,717	15,36,024
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*6,95,792*	*6,38,596*
ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*5,49,343*	*5,00,400*
iii. गैर-कर प्राप्तियां	*4,19,982*	*3,93,410*
iv. सहायता अनुदान और अंशदान	*1,600*	*3,618*
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां[1]	37,740	29,368
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली[2]	26,547	24,549
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां[3]	42,18,196	39,94,966
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**59,49,200**	**55,84,907**

स्रोत: संबंधित वर्ष के संघ वित्तीय लेखे । अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की गणना संघ वित्तीय लेखे से की गई है । कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे सौंपी गई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में वि.व. 15 में ₹ 3,37,808 करोड़ और वि.व 14 में ₹ 3,18,230 करोड़ शामिल है।

1.1.2 संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में वि.व.14 में ₹ 55,84,907 करोड़ से वि.व.15 में ₹ 59,49,200 करोड़ तक वृद्धि हुई। वि.व.15 में, उसकी स्वयं की प्राप्तियां ₹ 12,45,135 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित ₹ 16,66,717 करोड़ थी।

---

[1] इसमें बोनस शेयर, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश और अन्य उपक्रम और अन्य प्राप्तिया शामिल है

[2] संघ सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम की वसूली

[3] आंतरिक रूप के साथ-साथ बाहरी रूप से भारत सरकार द्वारा उधारियां

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबद्ध है और इस अर्थ में वह व्यक्ति विशिष्ट की बजाए लेन देन विशिष्ट है। संसद के अधिनियमों के तहत लगाए गए मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क हैं:

क) **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:** केंद्रीय उत्पाद शुल्क भारत में निर्मित या उत्पादित माल पर लगाया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोड़कर किन्तु शराब, अफीम इत्यादि वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्तियां हैं।(संविधान की सातंवी अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

ख) **सेवाकर:** कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 97)। सेवाकर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर कर है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी में प्रावधान है कि नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कर योग्य क्षेत्र में दी गई सेवाओं या सेवाएँ देने पर सहमति देने वाली सभी सेवाओं के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा और उस रूप में वसूल किया जाएगा जैसा कि निर्धारित[4] किया गया है। 'सेवा' को अधिनियम की धारा 66बी(44) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए किसी भी प्रतिफल के लिए की गई गतिविधि (छोडी गई मदों के अलावा) और उसमें घोषित सेवा[5] समिलित हैं।

ग) **सीमाशुल्क:** भारत में आयातित माल और भारत से बाहर निर्यात होने वाले कुछ माल पर सीमा शुल्क लगाया जाता हैं।(संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निदेशन एवं नियंत्रण के तहत कार्य करता है और केंन्द्रीय राजस्व बोर्ड

[4] धारा 66बी को वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1 जुलाई 2012 से शामिल किया गया था; धारा 66डी नकारात्मक सूची वाले मदों को सूचीबद्ध करती है

[5] वित्त अधिनियम की धारा 66ई में घोषित सेवायें सूचीबद्ध हैं

अधिनियम, 1963 के अधीन गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। सेवा कर लगाने और संग्रहण से संबंधित मामले सीबीईसी द्वारा देखे जाते हैं।

अप्रत्यक्ष कर कानून सीबीईसी द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय, कार्यकारी कमिश्नरी के माध्यम से प्रशासित होते हैं। इस उद्देश्य हेतु, देश को मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 23 जोन और सेवा कर के चार जोन में बांटा गया हैं। सीबीईसी में, क्षेत्रीय संरचनाओं का पुननिर्माण और पुनर्गठन अगस्त 2014 में किया गया था। कमिश्नर की अध्यक्षता में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 23 जोनों के अंतर्गत, 119 कार्यकारी कमिश्नरियाँ और सेवा कर के चार जोनो के अन्तर्गत, 22 कार्यकारी कमिश्नरियाँ हैं। डिवीजन और रेंज क्रमश: उप/सहायक आयुक्त और अधीक्षक की अध्यक्षता में अगली इकाइयाँ हैं। इन कार्यकारी कमिश्नरियों के अलावा विशेष कार्य करने के लिये आठ बड़ी कर भुगतान करने वाली इकाइयां (एलटीयू) कमिश्नरियाँ, 60 अपील कमिश्नरियाँ, 45 लेखापरीक्षा कमिश्नरियाँ और 20 महानिदेशालय/निदेशालय हैं।

01 जनवरी 2015 को सीबीईसी की समग्र संस्वीकृत कार्यबल संख्या 84,891[6] है। सीबीईसी का संगठनात्मक ढाँचा **परिशिष्ट I** में दर्शाया गया है।

इस अध्याय में वित्तीय लेखों, विभागीय लेखों और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सुसंगत डाटा का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रवृत्ति, संयोजन और प्रणालीगत मामलों पर चर्चा की गई हैं।

1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.2 वि.व. 11 से वि.व. 15 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में सापेक्षिक वृद्धि दर्शाती है।

[6] मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व.11	3,45,371	77,95,314	4.43	7,93,307	43.54
वि.व.12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44.16
वि.व.13	4,74,728	99,88,540	4.75	10,36,460	45.80
वि.व.14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
वि.व.15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87

स्रोत: कर राजस्व: संघ वित्तीय लेखे, जीडीपी –सीएसओ का प्रेस नोट[7]

यह देखा जा सकता है कि वि.व. 15 में वि.व. 14 की तुलना में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में जीडीपी के अनुपात के रूप में कमी हुई जबकि सकल कर में राजस्व के अनुपात के रूप में वृद्धि हुई।

1.5 अप्रत्यक्ष कर – संबंधित योगदान

तालिका 1.3 वि.व. 11 से वि.व. 15 की अवधि में जीडीपी के संदर्भ में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर घटकों का प्रक्षेप वक्र दर्शाती है।

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर – जीडीपी की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	के.उ.शु. राजस्व	जीडीपी की % के रूप में के.उ.शु. राजस्व	सेवा कर राजस्व	जीडीपी की % के रूप में सेवा कर राजस्व	सीमा शुल्क राजस्व	जीडीपी की % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व
वि.व 11	77,95,314	1,37,701	1.77	71,016	0.91	1,35,813	1.74
वि.व 12	90,09,722	1,44,901	1.61	97,509	1.08	1,49,328	1.66
वि.व 13	99,88,540	1,75,845	1.76	1,32,601	1.33	1,65,346	1.66
वि.व 14	1,13,45,056	1,69,455	1.49	1,54,780	1.36	1,72,085	1.52
वि.व 15	1,25,41,208	1,89,038	1.51	1,67,969	1.34	1,88,016	1.50

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे के अनुसार हैं।

[7] केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 29 मई 2015 को जारी जीडीपी पर प्रेस नोट। यह दर्शाता है कि वि.व 13 और वि.व 14 हेतु जीडीपी के लिये आंकडे नई सिरीज प्राक्कलनों के आधार पर है और वि.व 15 के ऑकडे विद्यमान कीमतों पर अनन्तिम प्राक्कलनों के आधार पर हैं। वि.व 11 और वि.व 12 के आंकड़े मूल वर्ष 2004-05 सहित वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर हैं। आंकड़ो को सीएसओ द्वारा निरंतर संशोधित किया जा रहा हैं और यह डाटा वित्तीय निष्पादन के साथ व्यापक आर्थिक निष्पादन की सांकेतिक तुलना के लिये हैं

मुख्य अप्रत्यक्ष कर का आपेक्षिक राजस्व योगदान चार्ट 1.1 में दर्शाया गया हैं ।

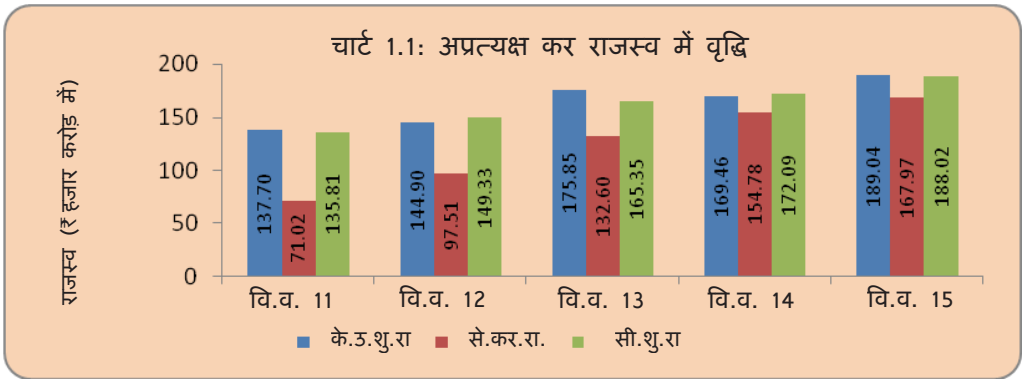

वि.व. 15 के दौरान जीडीपी की प्रतिशता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व का अंश बढ़ा है जबकि सीमाशुल्क और सेवा कर के अंश में कमी आई।

1.6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि – प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.4 वि.व.11 से वि.वि.15 के दौरान समेकित और जीडीपी पद में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व का रुझान दर्शाती है।

तालिका 1.4: केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	जीडीपी की % के रूप में के. उ. शु. राजस्व	सकल कर राजस्व की % के रूप में के. उ. शु. राजस्व	अप्रत्यक्ष कर की % के रूप में के. उ. शु. राजस्व
वि.व. 11	77,95,314	7,93,307	3,45,371	1,37,701	1.77	17.36	39.87
वि.व. 12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	1,44,901	1.61	16.30	36.90
वि.व. 13	99,88,540	10,36,460	4,74,728	1,75,845	1.76	16.97	37.04
वि.व. 14	1,13,45,056	11,38,996	4,97,349	1,69,455	1.49	14.88	34.07
वि.व. 15	1,25,41,208	12,45,135	5,46,214	1,89,038	1.51	15.18	34.61

स्रोतः कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षो के संघ वित्तीय लेखों के अनुसार हैं ।

यह देखा जा सकता है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में जीडीपी सकल कर राजस्व और अप्रत्यक्ष कर के अनुपात के रूप में वि.व. 15 के दौरान वृद्धि हुई और इसने वि.व 15 में सकल कर राजस्व में लगभग 15 प्रतिशत योगदान दिया।

1.7 उपयोग किए गए सेनवेट क्रेडिट की तुलना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ

एक विनिर्माता उत्पादन सामग्री या पूँजीगत माल पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ, उसके विनिर्माण कार्य से संबंधित इनपुट सेवाओं पर अदा किए गए सेवाकर के क्रेडिट का लाभ ले सकता है तथा इस प्रकार लिए गये क्रेडिट का उपयोग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में कर सकता है।

तालिका 1.5, और चार्ट 1.2 वि.व. 11 से वि.व. 15 के दौरान नगदी (पीएलए) तथा सेनवेट क्रेडिट द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में वृद्धि दर्शाते हैं।

तालिका 1.5: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां: पीएलए तथा सेनवेट का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएलए द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		सेनवेट क्रेडिट द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		पीएलए भुगतान के % के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त के.उ.शु.
	राशि #	पिछले वर्ष से % वृद्धि	राशि*	पिछले वर्ष से % वृद्धि	
वि.व. 11	1,37,701	-	1,70,058	-	123.50
वि.व. 12	1,44,901	5.23	2,14,014	25.85	147.70
वि.व. 13	1,75,845	21.36	2,58,697	20.88	147.12
वि.व. 14	1,69,455	-3.63	2,73,323	5.65	161.30
वि.व. 15	1,89,038	11.56	2,91,694	6.72	154.30

स्रोत: #संघ वित्तीय लेखे, * मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

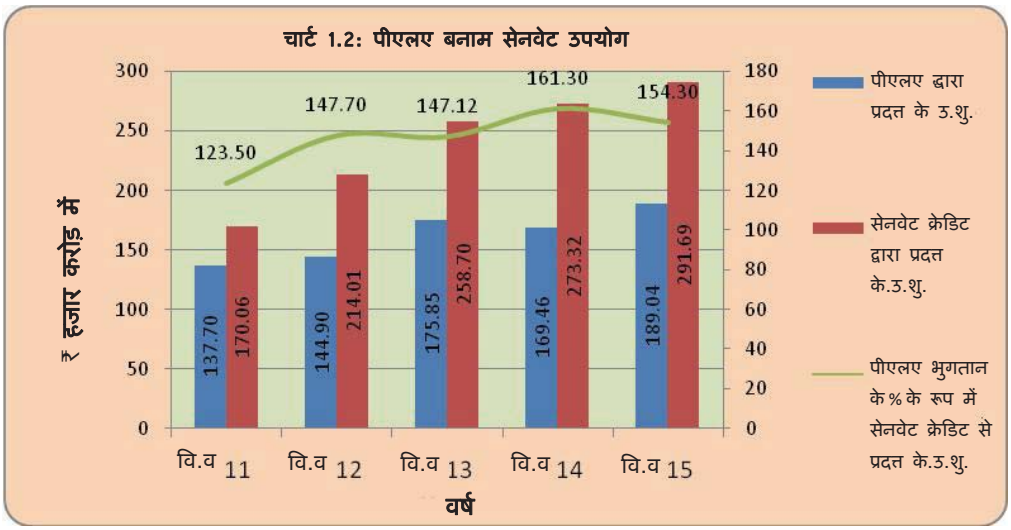

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े

यह देखा जा सकता है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (पीएलए) ने वि.व 14 की तुलना में वि.व 15 में 11.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। सेनवेट क्रेडिट से भुगतान में पिछले पांच वर्षो में वि.व 11 में पीएलए के 124 प्रतिशत से वि.व 15 में 154 प्रतिशत वृद्धि हुई। यद्यपि यह वि.व 14 की तुलना में सीमित रूप से कम हुआ हैं।

1.8 प्रमुख वस्तुओं से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

चार्ट 1.3 केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (वि.व. 15) में वस्तु समूह का भाग दर्शाता है।

चार्ट 1.3: विव 15 में प्रमुख वस्तुओं का राजस्व भाग

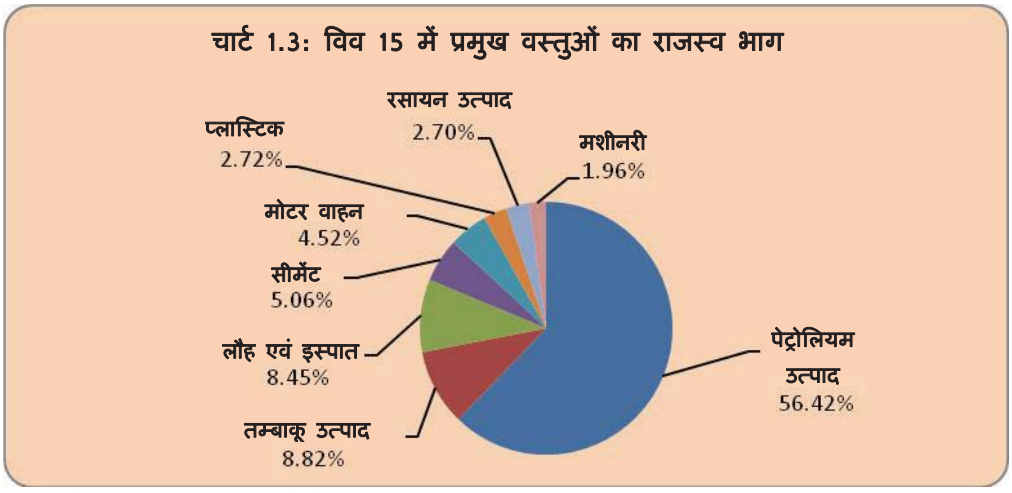

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि पेट्रोलियम (56.42 प्रतिशत), तंबाकू उत्पाद (8.82 प्रतिशत), लौह एवं इस्पात (8.45 प्रतिशत), सीमेंट (5.06 प्रतिशत), मोटर वाहन (4.52 प्रतिशत), प्लास्टिक (2.72 प्रतिशत), रसायन उत्पाद (2.70 प्रतिशत) और मशीनरी उत्पाद (1.96 प्रतिशत) उच्चतम राजस्व अर्जक थे और इनका वि.व. 15 में कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में 90.66 प्रतिशत योगदान था।

तालिका 1.6 में पिछले पांच वर्षों के दौरान इन वस्तुओं से राजस्व को दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: पिछले पांच वर्षों के दौरान शीर्ष उपज वस्तुओं से राजस्व

(₹ करोड़ में)

वस्तुएँ	वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 13	वि.व. 14	वि.व. 15
पेट्रोलियम उत्पाद	76,023	74,112	84,188	88,065	1,06,653
तम्बाकू उत्पाद	13,977	15,682	17,991	16,050	16,676
लौह एवं इस्पात	14,483	13,813	17,603	17,342	15,970
सीमेंट	7,458	8,952	10,712	10,308	9,572
मोटर वाहन	7,024	7,447	10,038	8,363	8,546
प्लास्टिक	2,368	2,931	4,259	4,298	5,150
रासायनिक उत्पाद	2,802	3,443	4,872	4,845	5,103
मशीनरी	2,799	3,452	4,559	3,761	3,707

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि वि.व 15 के दौरान, पेट्रोल तथा हाईस्पीड डीजल पर विशिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्रमशः ₹ 1.2 प्रति लीटर तथा ₹ 1.46 प्रति लीटर से ₹ 8.95 प्रति लीटर तथा ₹ 7.96 प्रति लीटर तक बढ गया जिसके परिणामस्वरूप न केवल पेट्रोलियम क्षेत्र से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह में वृद्धि हुई अपितु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की समग्र वृद्धि भी हुई। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जा सकता है कि वि.व. 15 के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद और प्लास्टिक को छोडकर राजस्व वृद्धि या तो स्थिर अथवा नकारात्मक है।

1.9 कर आधार

"निर्धारिती" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिस पर निर्धारित शुल्क का भुगतान देय है या जो उत्पाद शुल्क योग्य माल का विनिर्माता अथवा उत्पादक है अथवा निजी माल गोदाम, जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य माल संग्रहीत किया जाता है, का पंजीकृत व्यक्ति है तथा इसमें ऐसे व्यक्ति का प्राधिकृत एजेंट भी शामिल है। एक एकल कानूनी सत्व (कम्पनी अथवा व्यक्ति) की विनिर्माण इकाईयों के स्थान पर आधारित कई निर्धारिती पहचान हो सकती हैं। तालिका 1.7 पिछले दस वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारितियों की संख्या बताती हैं:

तालिका 1.7: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर आधार

वर्ष	पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	निर्धारितियों की संख्या जिन्होंने विवरणी फाइल की	निर्धारितियों की प्रतिशतता जिन्होंने विवरणी फाइल की
वि.व. 11	3,50,257	-	99,399	28
वि.व. 12	3,81,439	8.90	1,45,667	38
वि.व. 13	4,09,139	7.26	1,61,617	40
वि.व. 14	4,35,213	6.37	1,65,755	38
वि.व. 15	4,67,286	7.37	1,72,776	37

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा जा सकता है कि पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। तथापि, केवल 40 प्रतिशत के लगभग निर्धारिती विवरणी फाइल कर रहे हैं। मंत्रालय को इसके कारणों की जांच करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय द्वारा इस वर्ष प्रस्तुत किया गया पंजीकृत निर्धारितियों से संबंधित डाटा मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत किये गए तथा सीएजी की 2015 की रिपोर्ट सं. 7 में बताए गए डाटा से मेल नहीं खाता।

1.10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बजटीय मुद्दे

तालिका 1.8 बजट आकलन और तदनुरूपी वास्तविक केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की तुलना दर्शाती है।

तालिका 1.8: बजट, संशोधित आकलन और वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन*	संशोधित बजट आकलन*	वास्तविक प्राप्तियाँ#	वास्तविक एवं बीई के बीच अंतर	वास्तविक और बीई के बीच अंतर का %	वास्तविक और आरई के बीच अंतर का %
वि.व. 11	1,32,000	1,37,778	1,37,701	(+)5,701	(+)4.32	(-)0.06
वि.व. 12	1,64,116	1,50,696	1,44,901	(-)19,215	(-)11.71	(-)3.85
वि.व. 13	1,94,350	1,71,996	1,75,845	(-)18,505	(-)9.52	(+)2.24
वि.व. 14	1,97,554	1,79,537	1,69,455	(-)28,099	(-)14.22	(-)5.62
वि.व. 15	2,07,110	1,85,480	1,89,038	(-)18,072	(-)8.73	(-)1.92

स्रोत: *संघ प्राप्ति बजट तथा #संघ वित्त लेखे

यह देखा जा सकता है कि वि.व. 15 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों में बजट आकलन से 8.73 प्रतिशत तक गिरावट आई है जबकि संशोधित आकलन की तुलना में अन्तर 1.92 प्रतिशत तक कम हुआ है।

1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत परित्यक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 5ए(1) के तहत जनहित में छूट अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि शुल्क दरों को अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम निर्धारित किया जा सके। छूट अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरें ''प्रभावी दरों'' के रूप में जानी जाती हैं। छोडे गए राजस्व को, छूट अधिसूचना के बिना देय शुल्क और उक्त अधिसूचना के अनुसार अदा किए गए वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है-

- ऐसे मामले जहाँ टैरिफ और प्रभावी दरें मूल्यानुसार विनिर्दिष्ट होती हैं- **परित्यक्त राजस्व = सामान का मूल्य x (शुल्क टैरिफ दर – शुल्क की प्रभावी दर)**
- ऐसे मामले में जहाँ टैरिफ दर सममूल्य आधार पर है किन्तु छूट अधिसूचना के अनुसार निर्धारित दर पर प्रभावी शुल्क वसूला जाता है तब – **परित्यक्त राजस्व = (सामान का मूल्य x शुल्क टैरिफ दर) – (सामान की मात्रा x विशेष शुल्क की प्रभावी दर)**
- ऐसे मामले में जहाँ टैरिफ दर और प्रभावी दर सममूल्य तथा विशिष्ट दरों का संयोजन है, छोडा गया राजस्व की गणना उसके अनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में, जहाँ शुल्क का टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर हो, परित्यक्त राजस्व शून्य होगा।

धारा 5ए(1) के तहत सामान्य छूट अधिसूचना जारी करने की शक्तियों के अतिरिक्त केंद्र सरकार के पास केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 5ए(2) द्वारा अपवाद परिस्थितियों के तहत मामले दर मामले आधार पर उत्पाद शुल्क छूट देने हेतु विशेष आदेश जारी करने का भी अधिकार है। तथापि, सामान्य छूट जो केंद्र सरकार की राजकोषीय नाति का अभिन्न अंग होती हैं, के विपरित छूट आदेश जारी करने का मुख्य उद्देश्य अपवादात्मक परिस्थितियों से निपटान है। इस प्रकार, विशेष छूट आदेश जारी करने के कारण परित्यक्त राजस्व की गणना परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों में नहीं की जा रही हैं।

तालिका 1.9 पिछले पांच वर्षो के दौरान संघ सरकार के बजटीय दस्तावेजों में सूचित अनुसार परित्यक्त राजस्व से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आँकडों को दर्शाती है।

तालिका 1.9: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां तथा कुल परित्यक्त राजस्व

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां#	परित्यक्त राजस्व*	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों के % के रूप में परित्यक्त राजस्व
वि.व. 11	1,37,701	1,92,227	139.60
वि.व. 12	1,44,901	1,95,590	134.98
वि.व. 13	1,75,845	2,09,940	119.39
वि.व. 14	1,69,455	1,96,223	115.80
वि.व. 15	1,89,038	1,84,764	97.74

स्रोत: *संघ प्राप्तियां, बजट तथा #संघ वित्त लेखे

यह देखा जा सकता है कि उत्पाद शुल्कों के संदर्भ में वि.व. 15 के लिए परित्यक्त राजस्व ₹ 1,84,764 करोड़ था (सामान्य छूट के रूप में ₹ 1,77,680 करोड़ तथा क्षेत्र आधारित छूटों के रूप में ₹ 17,284 करोड़) था जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 97.74 प्रतिशत है। यह पाँच वर्षों में पहली बार है कि परित्यक्त राजस्व कुल कर राजस्व से कम है।

1.12 व्यापार सुविधा

1.12.1 बड़ी करदाता इकाइयां (एलटीयू) का निर्माण

व्यापार सुविधा के लिए विभाग द्वारा एलटीयू को स्थापित किया गया है। एक एलटीयू राजस्व विभाग के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आयकर तथा कॉरपोरेट टैक्स से संबंधित सभी मामलों के लिए एक एकल खिडकी निकासी बिन्दु के रूप में कार्य करने वाला एक आत्मनिर्भर कर कार्यालय है। पात्र कर दाता जो एलटीयू में निर्धारण के लिए विकल्प देते हैं, वे ऐसे एलटीयू पर अपनी उत्पाद शुल्क विवरणी, प्रत्यक्षकर विवरणी तथा सेवा कर विवरणी फाइल करने में सक्षम होगे तथा इसके तहत सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इन सभी करो को निर्धारित किया जाएगा। इन इकाइयों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर/शुल्क भुगतान, दस्तावेजों तथा विवरणियों की फाइलिंग, छूट/प्रतिदाय के दावे, विवादों के निपटान आदि से संबंधित सभी मामलों में कर दाताओं की सहायता करने के लिए आधुनिक सुविधाओं तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति से समर्थ बनाया जा रहा है। व्यापार सुविधा के लिए आठ एलटीयू को स्थापित किया गया है।

1.12.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचालन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचालन (एसीईएस) सीबीईसी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ई-गवर्नेंस की पहल है। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत भारत सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से एक है। यह एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जो भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में कर दाता सेवाओं, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा दक्षता में सुधार लाने के लिए लक्षित है। यह एप्लिकेशन एक वेब आधारित तथा कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली है जिसने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर में सभी प्रमुख प्रक्रियाएं स्वचालित की है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रशासन

1.13 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 1996 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में स्व-निर्धारण प्रारम्भ किया। स्व-निर्धारण के प्रारम्भ के साथ, विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा में एक टिकाऊ अनुपालन सत्यापन तंत्र भी प्रदान किया। निर्धारण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों, जिन्हें शुल्क भुगतान की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा करनी होती है, का मूल कार्य है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा मैनुअल के अनुसार, रेंज अधिकारी द्वारा डिवीजन के क्षेत्राधिकारी सहायक/डिप्टी कमिश्नर को प्राप्त तथा संवीक्षित विवरणियों की संख्या के संदर्भ में एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। संवीक्षा दो चरणों में की जाती है अर्थात प्राथमिक संवीक्षा जो एसीईएस द्वारा की जाती है एवं विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस अथवा अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर मैनुअली की जाती है।

1.13.1 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य जानकारी की सम्पूर्णता, विवरणी की समय पर प्रस्तुति, शुल्क का समय पर भुगतान, शुल्क के रूप में संगणित राशि की अंकगणितीय यर्थाथता तथा नॉन फाइलर्स तथा स्टॉप फाइलर्स की पहचान सुनिश्चित करना है।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को 1 अक्तूबर 2011 से प्रभाविता के साथ प्रारम्भ किया गया है, एसीईएस के माध्यम से विवरणी संवीक्षा को कम से कम 2014-15 तक सुदृढ़ हो जाना चाहिए था। ऑनलाइन संवीक्षा प्रारम्भ

करने के पीछे मुख्य कारणों में से एक विस्तृत संवीक्षा के लिए श्रमबल प्रदान करना था जो बाद में रेंज/समूह का मुख्य कार्य बन सकता था।

तालिका 1.10 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा के संबंध में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.10 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एसीईएस में फाइल की गई विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी* हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी हेतु चिन्हित विवरणियों का प्रतिशत	आरएण्डसी के पश्चात निकासित विवरणियों की संख्या	आरएण्डसी हेतु लम्बित विवरणियों की संख्या	सुधार हेतु लम्बित चिन्हित विवरणियों का प्रतिशत
वि.व. 13	12,09,197	11,39,968	94.27	9,74,675	1,65,293	14.50
वि.व. 14	12,60,659	11,74,911	93.20	8,93,225	2,81,686	23.98
वि.व. 15	13,11,127	12,23,006	93.28	6,96,139	5,26,867	43.08

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

*समीक्षा तथा सुधार

वि.व. 13 एवं वि.व. 14 से संबंधित डाटा मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष उपलब्ध कराए गए समान डाटा से मेल नहीं खाता। संवीक्षा किये गए विवरणियों को आर एण्ड सी हेतु चिन्द्रित किये जाने की उच्च प्रतिशतता तथा परिणामस्वरूप सुधार कार्यवाही के लिए लम्बित विवरणियों की बडी संख्या एसीईएस प्रणाली में कमियों का द्योतक है। इतनी अधिक विवरणियों को आर एण्ड सी हेतु चिन्हित करना विभागीय अधिकारी के कार्यभार को बढा देगा जबकि आनलाइन प्रणाली का उद्देश्य इसे कम करना था। यह वि.व. 15 के अन्त में 43 प्रतिशत विवरणियों के लम्बन से प्रमाणित है जो वि.व. 14 में लम्बन का लगभग दोगुना है। चूंकि आर एण्ड सी रेंज स्तर पर किया जाता है तथा 2,518 रेंज केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित हैं, औसतन केवल 446 (वि.व. 15) आर एण्ड सी एक रेंज द्वारा एक वर्ष में किये जाते हैं। सभी मामलों में आर एण्ड सी करने के लिए रेंजों को निर्देश जारी किये जाने चाहियें।

1.13.2 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में प्रस्तुत सूचना की वैधता स्थापित करना है तथा मूल्यांकन की शुद्धता, सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना, वर्गीकरण तथा ली गई छूट अधिसूचना की स्वीकार्यता पर ध्यान देने के बाद लागू कर की प्रभावी दर आदि को सुनिश्चित करना है। प्राथमिक संवीक्षा से भिन्न,

विस्तृत संवीक्षा करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में प्रस्तुत सूचना से विकसित जोखिम मापदंडों के आधार पर पहचानी गई कुछ चयनित विवरणियों को कवर करने के लिए है।

तालिका 1.11 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा करने में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.11 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

वर्ष	विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	विवरणियों की सं. जहाँ विस्तृत संवीक्षा की गई थी	विवरणियों की संख्या जहाँ विस्तृत समीक्षा लम्बित थी।	लंबन की अवधि-वार विघटन		
				6 माह से 1 वर्ष के मध्य से लम्बित विवरणियाँ	1 से 2 वर्ष के मध्य से लम्बित विवरणियाँ	2 वर्ष से अधिक के लिए लम्बित विवरणियाँ
वि.व. 13	50,039	38,900	10,144	8,108	1,684	240
वि.व. 14	10,665	6,894	3,771	3,787	796	116
वि.व. 15	डीएनपी*	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

*डीएनपी- वि.व 15 के लिए डाटा उपलब्ध नही कराया गया।

वि.व. 14 के लिए विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या वि.व.12 तथा वि.व. 13 की तुलना में काफी नीचे आई है। मंत्रालय को वि.व. 14 में की गई विस्तृत संवीक्षा की संख्या में भारी कमी की जांच करने की आवश्यकता है।

आगे यह देखा जा सकता है कि मंत्रालय द्वारा वि.व. 14 के लिए दिया गया डाटा केवल अंकगणितीय रूप से ही गलत नहीं था अपितु इसे उनके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त करने के पश्चात लेखापरीक्षा को दिया गया था जिससे काफी विलम्ब हुआ।

वि.व. 15 के लिए डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया था। सेनवेट क्रेडिट पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया है कि नमूना जॉच की गई 41 कमिश्नरियों में से, 21 कमिश्नरियों में कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी तथा 20 कमिश्नरियों का उत्तर प्रतीक्षित था।

1.14 प्रतिदाय

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11बी किसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दावे तथा अनुदान के प्रतिदाय के लिए कानूनी अधिकार देती है। प्रतिदाय शब्द में भारत से बाहर निर्यातित उत्पाद शुल्क योग्य माल पर अदा किए गए उत्पाद शुल्क के भुगतान पर रिबेट के साथ साथ भारत के बाहर निर्यातित माल के विनिर्माण में उपयुक्त सामग्री पर भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा11 बीबी निर्धारित करती है कि यदि प्रतिदाय के लिए आवेदन की तिथि से तीन महीने के अन्दर प्रतिदाय नहीं किया गया तो प्रतिदाय राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाना है।

तालिका 1.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग के प्रतिदाय संबंधी निष्पादन का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में प्रतिदाय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त हुए दावे ओबी सहित		वर्ष के दौरान निपटान						अन्तः शेष	
			वर्ष के दौरान संस्वीकृत प्रतिदाय		90 दिनों के भीतर निपटाएं गऐ मामले	लम्बित निपटान	मामले जहां ब्याज का भुगतान किया गया			
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	दिया गया ब्याज	मामलों की संख्या	राशि
वि.व. 13	2,15,146	26,873	1,70,797	21,139	1,64,669	6,128	20	15	44,349	5,734
वि.व. 14	2,70,321	28,461	2,09,549	11,875	1,98,256	64,215	241	91	60,754	4,714
वि.व. 15	2,47,196	डीएनपी*	2,04,353	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	डीएनपी	42,843	30,714

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

*डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपलब्ध डाटा के आधार पर यह देखा जा सकता है कि विलम्बित प्रतिदाय पर ब्याज का भुगतान करने के लिए विभाग पर एक दायित्व है इस तथ्य के बावजूद, विभाग अधिकतर मामलों में निर्धारिती को ब्याज का भुगतान नहीं कर रहा है। बोर्ड को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि विलम्बित

प्रतिदायों पर ब्याज के भुगतान संबंधी प्रावधानों को सही प्रकार लागू किया गया है।

लेखापरीक्षा के बार-बार कहने के बावजूद, मंत्रालय कुछ आंकडे उपलब्ध कराने में विफल हुआ जैसा उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है जबकि पिछले वर्ष मंत्रालय द्वारा इन्हें उपलब्ध कराया गया था। उपलब्ध कराया गया डाटा भी पिछले वर्ष उपलब्ध कराए गए डाटा से मेल नहीं खाता। उपलब्ध कराया गया डाटा गलत भी प्रतीत होता है क्योंकि वि.व. 15 के लिए अन्तः शेष में मामलों की सख्या वि.व. 14 से कम हो गई परन्तु राशि 600% बढ गई ।

1.15 आन्तरिक लेखापरीक्षा

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 की चार अलग विशेषताएं है: जोखिम विश्लेषण के पश्चात वैज्ञानिक चयन, पूर्व–तैयारी पर जोर, सांविधिक रिकार्ड के प्रति कारबार रिकार्ड की संवीक्षा तथा लेखापरीक्षा बिन्दुओं की समीक्षा।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक समीक्षा, प्रणाली की सूचना को एकत्र करना तथा दस्तावेजीकरण करना, आन्तरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना, राजस्व तथा पद्धतियों के लिए जोखिम का विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा योजना का विकास करना, वास्तविक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा आपत्तियों की तैयारी, निर्धारिती/रेंज अधिकारी/मंडलीय सहायक कमिश्नर के साथ परिणामों की समीक्षा करना तथा रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना शामिल है।

लेखापरीक्षा तंत्र के तीन भाग होते हैं। लेखापरीक्षा महानिदेशालय तथा क्षेत्रीय कमिश्नरियां लेखापरीक्षा के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को शेयर करते हैं। जबकि निदेशालय, लेखापरीक्षा परिणामों के संग्रहण, समेकन तथा विश्लेषण तथा कर अनुपालन के सुधार हेतु सीबीईसी को इसकी प्रतिपुष्टि तथा ग्राहक की संतुष्टि के स्तर को आंकने के लिए उत्तरदायी है, कमिश्नरियों के लेखापरीक्षा दल ईए 2000 लेखापरीक्षा प्रोटोकोल के अनुसार लेखापरीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, सीबीईसी ने लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, जोखिम प्रबंधन नियमपुस्तक तथा ईए 2000 तथा सीएएटी में लेखापरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नियमपुस्तक जो लेखापरीक्षा संचालन हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हैं के विकास में एशियाई विकास बैंक की सहायता ली। तालिका 1.13(क) लेखापरीक्षा के लिए नियत इकाईयों की तुलना में कमिश्नरियों के लेखापरीक्षा दलों द्वारा लेखापरीक्षित (वि.व. 15 के दौरान) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इकाईयों के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 1.13(क) वि.व. 15 के दौरान की गई निर्धारितियों की लेखापरीक्षा

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए+सेनवेट)	आवधिकता	देय इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा में कमी (%)
<₹ 3 करोड़ के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग ए)	वार्षिक	12,048	8,550	29.03
₹ 1 करोड तथा ₹ 3 करोड़ के बीच के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग बी)	द्विवार्षिक	6,717	3,888	42.12
₹ 50 लाख तथा ₹ 1 करोड़ के बीच के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाईयां (वर्ग सी)	पांच साल में एक बार	2,592	1,793	30.83
< ₹ 50 लाख के.उ.शु. का भुगतान करने वाली इकाईयां (वर्ग डी)	हर साल 10%	6,092	3,548	41.76

स्रोत : मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा जा सकता है कि वि.व. 15 के दौरान, इकाईयों की सभी श्रेणियों में नियत लेखापरीक्षाओ की तुलना में, की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षाओं में भारी कमी आई थी।

विभाग द्वारा की गई, लेखापरीक्षा के परिणाम तालिका 1.13 (ख) में तालिकाबद्ध किये गए हैं।

तालिका 1.13(ख): वर्ष के दौरान आपत्ति की गई एवं वसूल की गई राशि

(₹ करोड में)

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए+सेनवेट)	पता चले कम उदग्रहण की राशि	कुल वसूली की राशि
श्रेणी ए	2,013	546
श्रेणी बी	222	113
श्रेणी सी	198	39
श्रेणी डी	113	58
जोड़	**2,546**	**756**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गए आँकड़े

यह देखा जा सकता है कि श्रेणी ए इकाईयों में पता चली कम उदग्रहण तथा वसूली की राशि गैर-अनिवार्य इकाईयों से महत्वपूर्ण रूप से अधिक हैं। मंत्रालय को सभी श्रेणी ए (अनिवार्य) इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

1.16 कॉल बुक

विषय से संबंधित मौजूदा परिपत्र में यह परिकल्पना की गई है कि मामले जिनका कतिपय कारणों जैसे विभागीय अपील, न्यायालय से आदेश, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखापरीक्षा आपत्तियों पर वाद-विवाद आदि के कारण अधिनिर्णय नहीं हो सकता, की कॉल बुक में प्रविष्टि की जाए। सदस्य (के.उ.शु.) ने दिनांक 3 जनवरी 2005 के अपने डी.ओ.एफ. सं. 101/2/2003-सीएक्स-3 में यह जोर दिया था कि कॉल बुक के मामलों की प्रत्येक माह समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ने दिनांक 29 दिसम्बर 2005 के अपने पत्र में यह कहते हुए कि माहवार समीक्षा से कॉल बुक में अपुष्ट माँगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है, मासिक समीक्षा की आवश्यकता को दोहराया।

तालिका 1.14 हाल ही के वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कॉल बुक समाशोधन के संदर्भ में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.14: 31 मार्च तक लम्बित कॉल बुक मामले

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान कॉल बुक में हस्तांतरित नये मामले	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के अन्त में अन्त: शेष	शामिल राजस्व (₹ करोड़ में)	वर्ष के अन्त में लम्बन का अवधि बार विघटन		
						6 माह से कम	6-12 माह	1 वर्ष से अधिक
वि.व.13	30,542	6,753	8,152	29,143	45,267	4,609	2,958	21,576
वि.व.14	30,966	9,624	4,126	36,464	64,356	6,179	3,419	26,866
वि.व.15	35,617	9,552	8,846	36,323	65,765	4,841	2,276	29,206

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा जा सकता है कि कॉल बुक में मामलों का लम्बन अभी भी बहुत अधिक है जो कॉल बुक मदों की समीक्षा प्रक्रिया की बारीकी से समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है। वि.व. 15 के दौरान, कॉल बुक में लम्बित मामलों की संख्या 36,323 तक पहुंच गई थी जिसमें ₹ 65, 765 करोड़ का राजस्व निहित था।

1.17 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया

कानून, मांगे गये किन्तु वसूल न हो पाये राजस्व की वसूली के विभिन्न तरीके प्रदान करता है। इसमें उस व्यक्ति, जिससे राजस्व वसूल किया जाना है, को देय राशि, यदि कोई हो, का समायोजन, जब्ती और उत्पाद शुल्क माल

की बिक्री द्वारा वसूली और जिला राजस्व प्राधिकरण द्वारा भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली किया जाना शामिल है।

तालिका 1.15 बकाया राजस्व की वसूली के संदर्भ में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.15 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में बकाया वसूली

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान संग्रहण	वर्ष के अंत में लंबित बकाया वसूली	संग्रहण, वर्ष के आरंभ में बकाये के % के रूप में
वि.व. 13	49,654	3,920	50,345	7.89
वि.व. 14	58,632	2,882	59,885	4.92
वि.व. 15	61,872	1,616	93,925	2.61

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह चिन्ता का विषय है कि बकाया के अनुपात में संग्रहण निरन्तर कम हो रहा है। वि.व. 15 में, यह वि.व. 13 में 7.89 प्रतिशत की तुलना में अत्यधिक रूप से 2.61 प्रतिशत तक कम हो गया है। यद्यपि, बकाया के संग्रह के गिरते अनुपात को लेखापरीक्षा द्वारा बार बार बताया गया है परन्तु इसमें सुधार का कोई संकेत दिखाई नहीं देता। विभाग के वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया बकाया की वसूली से संबंधित डाटा मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत किये गए तथा 2015 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 7 में सूचित डाटा से मेल नहीं खाता।

1.18 अपवंचन रोधी उपायों के कारण उगाही किया गया अतिरिक्त राजस्व

महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना (डीजीसीईआई) के साथ–साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर कमिश्नरियों की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों का पता लगाने के कार्य में सुपरिभाषित भूमिका है। जबकि कमिश्नरियां, क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इकाईयों के बारे में उनके व्यापक डाटा बेस तथा क्षेत्र में उपस्थिति के कारण शुल्क अपवंचन को रोकने हेतु प्रथम रक्षा स्तर है, डीजीसीईआई को वास्तविक राजस्व के अपवंचन के बारे में विशिष्ट आसूचना संग्रहण में विशिष्टता प्राप्त है। इस प्रकार से संग्रहीत आसूचना, कमिश्नरियों से साझा की जाती है। अखिल भारतीय के स्तर के मामलों में जांच भी डीजीसीईआई द्वारा की जाती है।

तालिका 1.16 तथा 1.17 विगत तीन वर्षों से संबंधित डीजीसीईआई तथा कमिश्नरियों के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.16: विगत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पकड़े गए मामलें		जांच के दौरान स्वैच्छिक अदायगी
	मामलों की संख्या	राशि	राशि
वि.व. 13	458	2,940	1,019
वि.व. 14	384	1,947	363
वि.व. 15	388	1,876	240

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा जा सकता है कि वि.व. 15 में डीजीसीईआई द्वारा पता लगाए गए मामलों की संख्या वि.व. 14 की तुलना में थोड़ी बढ़ी है किंतु जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान कम हुआ है। वि.व. 13 की तुलना में यह अत्यधिक रूप से कम हुआ है।

तालिका 1.17 : विगत तीन वर्षों के दौरान कमिश्नरियों का अपवंचन-रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पकड़े गए मामलें		जांच के दौरान स्वैच्छिक अदायगी
	मामलों की संख्या	राशि	राशि
वि.व. 13	2,150	3,415	482
वि.व. 14	2,222	2,790	450
वि.व. 15	1,750	2,456	300

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

कमिश्नरी स्तर पर भी वि.व. 15 में, मामलों की संख्या, उसमें शामिल राशि और जांच के दौरान वसूली वि.व. 14 की तुलना में कम हो गई थी।

1.19 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण

करदाताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के स्वैच्छिक भुगतान के अलावा, कई विधियां हैं जिनसे विभाग करदाताओं द्वारा देय पर प्रदत्त नहीं राजस्व संग्रहण करता है । इन विधियों में विवरणियों की संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा, अपवंचन-रोधी, अधिनिर्णय इत्यादि शामिल हैं।

विभागीय प्रयासों के परिणाम तालिका 1.18 में तालिकाबद्ध किए गए हैं।

तालिका 1.18: विभागीय प्रयासों द्वारा वसूल किया गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभागीय कार्रवाई	वि.व. 14 के दौरान वसूली	वि.व. 15 के दौरान वसूली
1	अन्तरिक लेखापरीक्षा	717	411
2	अपवंचन – रोधी	379	288
3	पुष्टिकृत मांगे	462	1,248
4	पूर्व जमा	178	307
5	विवरणियों की संवीक्षा	145	478
6	चूककर्ताओं से वसूली	709	1,298
7	अनंतिम निर्धारण	31	0
8	अन्य	196	197
	कुल	**2,816**	**4,227**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

वि.व. 15 के दौरान कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण ₹ 1,89,038 करोड़ है जिसमें से केवल ₹ 4,227 करोड़ विभागीय प्रयासों के कारण संग्रहीत किया गया है जो कुल राजस्व का केवल 2.24 प्रतिशत है। इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा (₹ 411 करोड़) के तहत ऊपर दर्शाया गया राजस्व संग्रहण तालिका 1.13 (ख) (₹ 756 करोड़) में दर्शायी गई राशि से मेल नहीं खाता है। इसी प्रकार अपंवचन रोधी (₹ 288 करोड़) के अन्तर्गत ऊपर दर्शायी गई वसूली तालिका 1.16 और 1.17 (₹ 540 करोड़) में दर्शायी गई राशि से मेल नहीं खाती।

आगे यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वि.व. 15 के लिए विस्तृत संवीक्षा का डाटा प्रदान नहीं किया गया था और सेनवेट क्रेडिट पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नमूना जांच की गई 41 कमिश्नरियों में से 21 कमिश्नरियों में कोई विस्तृत संवीक्षा नही की गई थी और 20 कमिश्नरियों का उत्तर प्रतीक्षित था, किन्तु विवरणियों की संवीक्षा के कारण वि.व. 14 की तुलना में वि.व. 15 के दौरान वसूली ₹ 145 करोड़ से बढ़ कर ₹ 478 करोड़ हो गई। मंत्रालय को इन सभी आकडों की प्रमाणिकता की जांच करने की आवश्यकता है।

1.20 संग्रहण की लागत

नीचे तालिका राजस्व संग्रहण की तुलना में संग्रहण की लागत दर्शाती है।

तालिका 1.19: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियाँ और संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	सेवा कर से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	संग्रहण की लागत	कुल प्राप्तियों के % के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व 11	1,37,901	71,016	2,08,917	2,072	0.99
वि.व 12	1,44,540	97,356	2,41,896	2,227	0.92
वि.व 13	1,75,845	1,32,601	3,08,446	2,439	0.79
वि.व 14	1,69,455	1,54,780	3,24,235	2,635	0.81
वि.व 15	1,89,038	1,67,969	3,57,007	2,950	0.83

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखे

यह देखा जा सकता है कि स्वचालन और आईसीटी के व्यापक प्रयोग के बावजूद, संग्रहण की लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाना जारी है ।

1.21 अधिनिर्णय

अधिनिर्णय वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से संबंधित मामलों का निर्धारण करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावे, अंनतिम निर्धारण इत्यादि से संबंधित पहलुओं पर विचार करना शामिल हो सकता है। अधिनिर्णयन प्राधिकारी के निर्णय को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 1.20 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिर्णय का वर्षवार विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका 1.20: विभागीय प्राधिकारी के पास अधिनिर्णय हेतु लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च तक लम्बित मामले		1 वर्ष से अधिक के लिए लम्बित मामलों की संख्या
	संख्या	राशि	
वि.व 13	16,801	16,020	1,093
वि.व 14	20,428	21,734	3,142
वि.व 15	27,425	23,765	4,984

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा जा सकता है कि ₹ 23,765 करोड़ के शुल्क से संबंधित मामले 31 मार्च 2015 तक अधिनिर्णय हेतु लम्बित थे। यह भी पाया गया कि 4,984 मामले एक वर्ष से अधिक के लिए लम्बित थे। वर्षो के साथ मामलों के

लम्बन में वृद्धि हो रही है। मंत्रालय को लंम्बित मामलों के अधिनिर्णयन के लिए उपाय प्रारंभ करने चाहिये क्योंकि बड़ी संख्या में राजस्व अवरूद्ध है।

1.22 अपीलीय मामले

अधिनिर्णय प्राधिकारियों के अलावा, विभागीय अपीलीय प्राधिकारी, विधिक न्यायालय इत्यादि सहित कई अन्य प्राधिकारी हैं, जहां न्यायिक मामले, निर्वचन इत्यादि पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, कई मामलों में विभाग भी प्रतिरोधी वसूली उपायों का सहारा लेता है। अत: राजस्व की बड़ी राशि काफी लम्बी अवधि के लिए भारत की समेकित निधि से बाहर रहती है। सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर हमने तालिका 1.21 (क) में विभिन्न फोरम में मामलों के लम्बन को तालिकाबद्ध किया है।

तालिका 1.21 (क) : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में अपीलों का लम्बन

वर्ष	फोरम	वर्ष के अन्त तक लम्बित अपीलें					
		पार्टी की अपीलों का विवरण		विभागीय अपीलों का विवरण		जोड़	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
वि.व 13	सर्वोच्च न्यायालय	760	1,429	1,632	5,743	2,392	7,172
	उच्च न्यायालय	5,631	6,844	5,430	5,527	11,061	12,371
	सेसटेट	35,964	63,278	15,832	12,010	51,796	75,288
	निपटान आयोग	70	103	3	0	73	103
	कमिश्नर (अपील)	23,233	7,103	2,965	558	26,198	7,661
	जोड़	**65,658**	**78,757**	**25,862**	**23,838**	**91,520**	**1,02,595**
वि.व 14	सर्वोच्च न्यायालय	855	1,835	1,702	6,078	2,557	7,913
	उच्च न्यायालय	5,856	9,359	5,505	6,764	11,361	16,123
	सेसटेट	41,257	90,447	16,685	14,806	57,942	1,05,253
	निपटान आयोग	109	230	4	1	113	231
	कमिश्नर (अपील)	23,783	7,054	3,225	669	27,008	7,723
	जोड़	**71,860**	**108,926**	**27,121**	**28,318**	**98,981**	**1,37,244**
वि.व 15	सर्वोच्च न्यायालय	815	2,202	1,754	6,428	2,569	8,630
	उच्च न्यायालय	5,577	10,206	5,408	9,231	10,985	19,437
	सेसटेट	44,710	1,05,905	16,719	14,240	61,429	1,20,145
	निपटान आयोग	155	349	2	1	157	350
	कमिश्नर (अपील)	25,617	6,272	3,676	655	29,293	6,927
	जोड़	**76,874**	**1,24,935**	**27,559**	**30,554**	**1,04,433**	**1,55,489**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा जा सकता है कि विभिन्न स्तरों पर ₹ 1,55,489 करोड़ के राजस्व के मामले लम्बित थे, जिनमें से ₹ 81,538 करोड़ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित थे। इस राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। बोर्ड द्वारा लिए गए कई उपायों के बावजूद, इतने अधिक राजस्व का अवरूद्ध होना, चिन्ता का विषय है।

विभिन्न फोरम में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील मामलों का निपटान नीचे तालिका 1.21 में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 1.21 (ख): वर्ष के दौरान निर्णीत मामलों का ब्यौरा

वर्ष	फोरम	विभागीय अपील				पार्टी की अपील			
		विभाग के पक्ष में निर्णय	विभाग के विरूद्ध निर्णय	वापिस योजना	विभाग की सफल अपीलों का %	पार्टी के पक्ष में निर्णय	पार्टी के विरूद्ध निर्णय	वापिस योजना	पार्टी की सफल अपील का %
वि.व 13	सर्वोच्च न्यायालय	15	75	9	15.15	16	23	7	34.78
	उच्च न्यायालय	102	486	97	14.89	473	1,007	269	27.04
	सेसटेट	346	955	271	22.01	1,805	2,447	1,380	32.05
	कमिश्नर (अपील)	1,162	1,198	139	46.50	6,432	13,221	1,575	30.30
	जोड़	**1,625**	**2,714**	**516**	**33.47**	**8,726**	**16,698**	**3,231**	**30.45**
वि.व 14	सर्वोच्च न्यायालय	21	82	5	19.44	14	33	3	28.00
	उच्च न्यायालय	193	355	22	33.86	379	1,247	223	20.50
	सेसटेट	248	1,407	151	13.73	2,314	2,125	1,574	38.48
	कमिश्नर (अपील)	1,141	1,248	31	47.15	7,064	12,888	697	34.21
	जोड़	**1,603**	**3,092**	**209**	**32.69**	**9,771**	**16,293**	**2,497**	**34.21**
वि.व 15	सर्वोच्च न्यायालय	24	149	16	12.70	16	52	29	16.49
	उच्च न्यायालय	230	712	130	21.46	447	1,397	206	21.80
	सेसटेट	216	1,121	218	13.89	2,255	1,987	1,874	36.87
	कमिश्नर (अपील)	717	869	87	42.86	4,202	9,151	931	29.42
	जोड़	**1,187**	**2,851**	**451**	**26.44**	**6,920**	**12,587**	**3,040**	**30.69**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा जा सकता है कि अधिनिर्णय आदेशों के प्रति विभाग की अपील का सफलता अनुपात वि.व. 13 में 33.47 से गिर कर वि.व. 15 में 26.44 प्रतिशत हो गया। कमिश्नर (अपील) द्वारा निर्णित विभागीय अपीलों का सफलता अनुपात लगभग 50 प्रतिशत है किन्तु अतिरिक्त विभागीय उच्च फोरम में यह 15 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के बीच है। निर्धारितियों द्वारा फाइल की गई अपीलों की सफलता दर अतिरिक्त विभागीय उच्च फोरम में बेहतर है। निम्न सफलता दर के कारणों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है और सफलता दर में सुधार के साथ-साथ अपीलों के लम्बन को कम करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए।

1.23 मंत्रालय द्वारा डाटा प्रस्तुत न करना और प्रस्तुत किए गए डाटा में विसंगति

मंत्रालय वि.व. 15 के लिए विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा (पैराग्राफ 1.15.2 देखें) और प्रतिदाय मामलों के निपटान (पैराग्राफ 1.17) से संबंधित डाटा उपलब्ध नहीं करा सका क्योंकि डाटा का फोर्मेट और डाटा के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व नवम्बर 2014 में संशोधित किया गया था। इससे पता चलता है कि सीबीईसी में प्रबंधन के परिवर्तन के दौरान महत्वपूर्ण डाटा के अनुरक्षण की निरन्तरता सुनिश्चित नहीं की जाती है। इसके अलावा, हमने इस अध्याय को मुख्य रूप से सीबीईसी के माध्यम से प्राप्त डाटा के आधार पर संकलित किया है। यह देखा गया है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समान डाटा मेल नहीं खा रहा है (पैराग्राफ 1.20) और कुछ मामलों में, इस वर्ष प्रस्तुत किया गया डाटा 2015 की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 7 (पैराग्राफ 1.9, 1.13 और 1.15.1) के लिए प्रस्तुत डाटा से मेल नहीं खा रहा है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में डाटा अनुरक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है।

1.24 लेखापरीक्षा प्रयास और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद – अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा मानक द्वितीय संस्करण 2002 के कुशल लेखापरीक्षा मानकों का उपयोग करते हुए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबन्धन फ्रेमवर्क, 2014 के अनुसार अनुपालन लेखापरीक्षा को उंबंधित किया गया था।

1.25 सूचना के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया

संघ वित्त लेखों से डाटा के साथ डीओआर, सीबीईसी और उसके क्षेत्रीय संरचनाओं में मूल अभिलेखों / दस्तावेजों, सीबीईसी के एम आई एस, एम टी आर की जांच के साथ अन्य पण धारकों की रिर्पोट का उपयोग किया गया। महानिदेशक (डीजी)/प्रधान निदेशक (पीडी) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता में हमारे नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिन्होने वि.व. 15 में 781 (सीएक्स और एसटी) यूनिटों की लेखापरीक्षा की।

1.26 प्रतिवेदन विहंगावलोकन

वर्तमान प्रतिवेदन में 64 पैराग्राफ हैं जिनमें ₹ 147.87 करोड़ का मौद्रिक मूल्य शामिल है। सामान्यतया चार प्रकार की आपत्तियां थीं: सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ/उपयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का गैर/कम भुगतान, आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता और अन्य मामले। विभाग/मंत्रालय ने ₹ 135.85

करोड़ के मौद्रिक मूल्य वाले 47 पैराग्राफों के मामलों में लेखापरीक्षा अप्पतियाँ स्वीकार की और 30 मामलों में ₹ 27.95 करोड़ की वसूली सूचित की।

1.27 अनुपालन लेखापरीक्षा पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई

मंत्रालय ने अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सभी पैराग्राफों पर सुधारात्मक कार्रवाई प्रस्तुत की और मंत्रालय से पिछली अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संबंधित कोई एटीएन लम्बित नहीं था ।

1.28 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

निष्पादन लेखापरीक्षा इस लक्ष्य के साथ यह आश्वासन पाने के लिए कि प्रणाली और प्रक्रियाएं पर्याप्त थी और सीबीईसी द्वारा इनका अनुपालन किया जा रहा था। इस वर्ष हमने 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की कार्यप्रणाली में स्वचालन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा की है। इस प्रतिवेदन को 18 दिसम्बर 2015 को संसद के पटल पर रखा गया था।

1.29 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव

पिछले पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (मौजूदा वर्ष के प्रतिवेदन सहित) हमने ₹ 683.20 करोड़ के 440 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (तालिका 1.22) शामिल किए थे।

तालिका 1.22: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

वर्ष			वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 13	वि.व.14	वि.व.15	जोड़
शामिल पैराग्राफ		सं.	159	87	62	68	64	440
		राशि	158.00	69.32	182.90	125.11	147.87	683.20
स्वीकृत पैराग्राफ	पूर्व प्रिंटिंग	सं.	133	85	58	60	47	383
		राशि	117.64	67.07	179.44	90.71	135.85	590.71
	पश्च प्रिंटिंग	सं.	15	2	-	1	-	18
		राशि	34.76	8.34	-	0.36	-	43.46
	जोड़	सं.	148	87	58	61	47	401
		राशि	152.40	75.41	179.44	91.07	135.85	634.17
प्रभावित वसूलियां	पूर्व प्रिंटिंग	सं.	67	48	36	28	30	209
		राशि	46.60	24.72	21.29	27.44	27.95	148.00
	पश्च प्रिंटिंग	सं.	3	1	1	3	-	8
		राशि	0.19	0.04	0.56	3.09	-	3.88
	जोड़	सं.	70	49	37	31	30	217
		राशि	46.79	24.76	21.85	30.53	27.95	151.88

स्रोत: सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मंत्रालय ने ₹ 634.17 करोड़ के 401 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की और ₹ 151.88 करोड़ की वसूलियाँ की थी।